संयुक्त निदेशक,
जल विज्ञान निदेशालय,
जल संसाधन भवन,अनिसाबाद, पटना।
E-Mail : jdhydrologypatna@gmail.com

भाड़े पर वाहन उपलब्ध कराने हेतु अति अल्पकालीन पुर्नकोटेशन आमंत्रण सूचना संख्या (NIQ) – 05/2025–26.

पत्रांक– .... पटना, दिनांक–....../03/2026

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए संयुक्त निदेशक, जल विज्ञान निदेशालय, जल संसाधन विभाग, अनिसाबाद, पटना के अन्तर्गत कार्यालय कार्यों के साथ निदेशालय अधीन योजनाओं के अनुश्रवण, निरीक्षण एवं संबद्ध तथा असंबद्ध विभाग/निदेशालयों से डाटा संग्रह अथवा सम्पर्क कार्य उच्चाधिकारियों की बैठकों में भाग लेने इत्यादि कार्यों हेतु भाड़े पर संयुक्त निदेशक, जल विज्ञान निदेशालय, जल संसाधन विभाग, अनिसाबाद, पटना हेतु 01 (एक) अदद वातानुकूलित स्कार्पियो निम्नांकित शर्तों के अधीन इच्छुक वाहन मालिकों/फर्म से अति अल्पकालीन कोटेशन आमंत्रित किया जाता है।

1.	कोटेशन आमंत्रण सूचना निर्गत करने की तिथि	:	दिनांक 16.03.2026
2.	कोटेशन जमा करने की अवधि	:	दिनांक 24.03.2026 को 03:00 बजे अपराह्न तक।
3.	कोटेशन जमा करने का स्थान	:	संयुक्त निदेशक, जल विज्ञान निदेशालय, जल संसाधन विभाग, अनिसाबाद, पटना के कार्यालय में।
4.	कोटेशन खोलने की तिथि एवं समय	:	दिनांक 24.03.2025 को 03:30 बजे अपराह्न में।
5.	विज्ञापनदाता का पदनाम एवं पता	:	संयुक्त निदेशक, जल विज्ञान निदेशालय, जल संसाधन विभाग, अनिसाबाद, पटना (मोबाईल नं०– 9934296726)

तकनीकी निविदा शर्त

1. वाहन का वैध निबंधन (वाणिज्य निबंधन) पत्र बीमा, रोड टैक्स, प्रदूषण प्रमाण पत्र एवं फिटनेस प्रमाण पत्र अद्यतन कोटेशन के साथ समर्पित की जाय।
2. कोटेशनदाता Travel Agency/Firms के रुप में प्राधिकृत संस्थानों से निबंधित हो। व्यक्तिगत रुप से वाहन मालिक भी इस कोटेशन में भाग ले सकते है, जिनके पास वैध PAN एवं GST No. उपलब्ध हो ।
3 कोटेशनदाता का आधार कार्ड, जी० एस० टी०,पैन कोटेशन के साथ समर्पित की जाय।
4. निविदादाताओं को वित्तीय दर निम्नांकित प्रपत्र में देना होगा।

क्रम	वाहन का प्रकार	दर प्रति माह इंधन सहित 1000 कि0मी0 तक एवं चालक सहित (सभी करों यथा GST, IT etc. सहित)	दर प्रति माह इंधन सहित 1000 कि0मी0 से अधिक दूरी तय करने पर दर प्रति कि0मी0 (सभी करों यथा GST, IT etc. सहित)

नियम एवं शर्ते

1. भाडे पर वाहन मार्च 2027 तक लिया जायेगा।
2. वाहन परिवहन विभाग, बिहार सरकार मोटरयान अधिनियम के मानकों के अनुरुप परिचालन योग्य एवं अच्छे हालत में होना चाहिए।
3. वाहन का दैनिक रख–रखाव (चालक सहित) एवं उसके सभी प्रकार के मरम्मति, तौलिया उपलब्ध कराना एवं इसकी दैनिक साफ–सफाई आदि पर होने वाले व्यय वाहन मालिक/फर्म /सेवा प्रदाताओं द्वारा किया जायेगा। चालक के वेतन का भुगतान आवासन एवं भोजन आदि की व्यवस्था वाहन मालिक/फर्म/ सेवा प्रदाताओं द्वारा किया जायेगा।
4. नियमानुकूल सभी प्रकार के करों एवं अन्य शुल्क अदेयता (टोल टैक्स को छोड कर) की जिम्मेदारी वाहन मालिक की होगी।
5. वाहन का कागजात, टैक्स बीमा आदि मोटरयान अधिनियम अनुसार अद्यतन होना चाहिए। वाहन का निबंधन व्यवसायिक होना बाध्यकारी है।
6. वाहन चालक के पास अद्यतन एवं वैध व्यवसायिक ड्राईविंग लाईसेन्स होना चाहिए।
7. वाहन की चोरी या दुर्घटना अथवा अन्य क्षति होने पर चालक सहित जिम्मेदारी वाहन मालिक/फार्म/सेवा प्रदाताओं की होगी।

8. वाहन के उपयोग के विरुद्ध वाहन का किराया (एक माह में 1000 कि0मी0 तक परिचालन हेतु ईंधन सहित) सभी कर सहित मासिक दर (अवकाश/रविवार सहित) देय होगा।
9. वाहन के उपयोग के लिए लॉगबुक का संधारण वाहन चालक की जबाबदेही होगी, जिसका उपयोग करने वाले पदाधिकारी यात्रा प्रयोग सबंधी आवश्यक प्रविष्टि करेंगे जिसके आधार पर वाहन का मासिक किराया भुगतान किया जायेगा।
10. मासिक न्यूनतम दर समाहरणालय पटना, पटना जिला नजारत शाखा द्वारा निर्धारित अनुसूचित दर के बराबर या न्यूनतम कोटेशन दाता के साथ रुपये 1000.00 (एक हजार) मात्र के स्टैम्प .पेपर पर एकरारनामा किया जायेगा और उन्हें वाहन उपलब्ध कराने का आदेश दिया जायेगा। सेवा सतोषजनक नहीं होने पर अथवा वाहन की आवश्यकता नहीं रहने पर कभी भी बिना बताये एकरारनामा समाप्त किया जा सकता है।
11. वाहन के सभी कागजात यथा मोटर यान नियम के तहत सभी प्रकार के Tax, Fasttag, Insurance, Pollution Certificate, Vehicle Registration , Road Tax, एवं वाहन चालक का वैध Driving License इत्यादि को एकरारनामा अवधि के दौरान अद्यतन रखने की जिम्मेवारी वाहन मालिक/सेवा प्रदाता का होगा एवं उक्त सभी कागजातों को यात्रा के दौरान वाहन में निश्चित रुप से संधारित करना होगा । उक्त कागजात के अद्यतन नहीं होने अथवा वाहन में उपलब्ध नहीं रहने के कारण यदि किसी प्रकार का दंड़ अधिरोपित होता है तो ऐसे आर्थिक दंड की देयता वाहन मालिक /सेवा प्रदाता द्वारा भारित होगा ।
12. आवश्यकतानुसार वाहन का उपयोग दिन एवं रात्री समय में होता है। अतः इस हेतु कोई अतिरिक्त शुल्क/किराया देय नहीं होगा।
13. वाहन का उपयोग वाहन मालिक/वाहन आपूर्तिकर्ता निजी अथवा अन्य व्यवसायिक उपयोग में नहीं करेंगे।
14. वाहन उपयोग हेतु 24 घंटे संबंधित पदाधिकारियों के नियंत्रण में रहेगा एवं किसी भी परिस्थिति में बिना अनुमति के कार्यालय परिसर से बाहर नहीं जायेगा। वाहन खराब हो जाने पर वाहन मालिक/फर्म /सेवा प्रादाताओं का दायित्व होगा कि वे तुरंत दुसरा वाहन उपलब्ध करायेगें अगर वे ऐसा नहीं करते है तो उस दिन का भाडे का भुगतान दोगुणा दर से कटौती कर ली जायेगी।
15. कोटेशन कभी भी बिना कारण बताए अधोहस्ताक्षरी द्वारा रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
16. संबंधित मद में आवंटन उपलब्ध होने पर नियमानुसार करो की कटौती के पश्चात भुगतान की जायेगी।
17. अगर सेवा संतोषजनक रहा तो अगले वित्तीय वर्ष में भी सेवा ली जा सकती है।
18. वाहन मालिक/फर्म /सेवा प्रदाता को वाहन से संबंधित सभी प्रकार के करों अर्थात् GST, Income Tax इत्यादि के भुगतान की देयता स्वयं करना होगा।
19. प्रस्तावित वाहन का वास्तविक स्वामी, आवश्यक अवधि हेतु उक्त वाहन को सरकारी कार्यालय में उपयोग के लिए शपथ पत्र (विधि पूर्वक अनुमोदित एवं अधिदत्त (Endorse)) संलग्न करना है । वाहन का प्रयोग संबंधित फर्म/सेवा प्रदाता की विधिक जिम्मेवारी एवं अभिकर्तृत्व (Authority) के अन्तर्गत किया जायेगा तथा इस अवधि तक वाहन स्वामी को कोई आपत्ति नहीं होगी ।
20. आवश्यकतानुसार वाहन मुख्यालय से बाहर भी जा सकता एवं रह सकता है उक्त हेतु किसी प्रकार का अतिरिक्त राशि के भुगतान का दावा मान्य नहीं होगा।

इच्छुक वाहन मालिक/फर्म /सेवा प्रदाताओं उक्त क्रमांक 01 से 20 तक के शर्तों को स्वीकार करने से संबधित अपना शपथ–पत्र (नोटरी द्वारा निर्गत) के साथ समर्पित करेगें। एक से अधिक समान न्यूनतम दर के कोटेशन प्राप्त होने पर वैध कोटेशनदाताओं के बीच लॉटरी के माध्यम से वाहन मालिक/फर्म/ सेवा प्रदाताओं का चयन किया जायेगा।

शपथ पत्र एवं वांछित कागजात नहीं रहने पर कोटेशन अमान्य कर दिया जायेगा।

विश्वासभाजन

ह0/–

(मो0 जकाउल्लाह)
संयुक्त निदेशक,
जल विज्ञान निदेशालय,पटना।

पत्रांक– ......228......   पटना, दिनांक–...14.../ 03 / 2026

प्रतिलिपिः– सूचना एवं जन सम्पर्क पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं अग्रेतर कार्रवाई हेतु समर्पित। अनुरोध है कि इस पंचम अति अल्पकालिन कोटेशन आमंत्रण का प्रकाशन पटना जिलान्तर्गत राष्ट्रीय/स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों एवं विभागीय वेवसाईट पर अपलोड कराने की कृपा की जाय।

अनुलग्नकः– कोटेशन आमंत्रण का साफ्ट कॉपी।

14.03.2026

(मो0 जकाउल्लाह)
संयुक्त निदेशक,
जल विज्ञान निदेशालय, पटना।

14/03/26